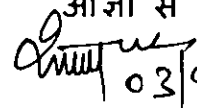


राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1654 /2020 दिनांक : 04.09.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1580/2020 दिनांक 25.08.2020 के द्वारा श्री बुलाकीदास व्यास, तत्कालीन अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द हाल अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 01, ब्यावर (अजमेर) को ब्लॉक वर्ष 2020- 2022, 30 दिवस उपार्जित अवकाश, जिसे दिनांक 30.07.2020 को समर्पित करने पर नकद भुगतान अनुज्ञेय किये जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से

03/9/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/45/2002/ 3703

दिनांक : 04.09.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ।
3. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर ।
5. श्री बुलाकीदास व्यास (RJ0415), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं. 01, ब्यावर (अजमेर) ।


03/9/2020
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
